न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 305/2022(जीसीएमएस दर्ज संख्या – 2022/82)

अनवान मुकदमा –

1. रेम्पी सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गुरतेज सिंह पुत्र बीकर सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– वादीगण

बनाम

1. वीरपाल कौर पत्नी गुरसेवक सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गुरमेल कौर पत्नी बीकर सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. नसीब कौर पत्नी साहब सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

–– प्रतिवादीगण

–:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 49 रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं विनिमयः–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता –––– वादीगण
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता –––– प्रतिवादी सं. 1 ता 3
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा –––– प्रतिवादी सं. 4

–:: निर्णय :–

दिनांक – 02/08/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 49 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है। वाद पत्र दो प्रतियो मय शपथ पत्र मे समर्पित प्रस्तुत किया गया है। वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है।

संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 13 एमओडी–ए के खाता सं. 31 के प.नं. 52/264, 53/264 की कुल 5.060 हैक. नहरी म.गै.मु. मे से वादी सं. 1 का 1.739 हैक., वादी सं. 2 का 1.739 हैक., प्रतिवादी सं. 2 का 317/10120 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 2847/10120 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 11 एमओडी–ए के खाता सं. 35 के प.नं. 54/264, 54/265 की कुल 6.072 हैक. मे से वादी सं. 1 का 245/12144 हि., वादी सं. 2 का 245/6072 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का

02.08.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

245/12144 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 377/2024 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 283/1518 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 3–4 मे वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम से वर्णित कृषि भूमि अलग – अलग चक मे दर्ज होने से काश्त करने मे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए भूमि का एकीकरण के लिए कुछ समय पूर्व वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 आपसी घरा घरू तबादला (विनिमय) बिना किसी प्रतिफल के कर लिया था ताकि काश्त करने मे सुविधा हो सके जो इस प्रकार से है:–

क. चक नं. 13 एमओडी–ए के खाता सं. 31 के प.नं. 52/264, 53/264 की कुल 5.060 हैक. मे से वादी सं. 1 को 1.265 हैक., वादी सं. 2 को 1.265 हैक., प्रतिवादी सं. 2 को 0.6325 हैक., प्रतिवादी सं. 3 को 1.8975 हैक. प्राप्त हुई

ख. चक नं. 11 एमओडी–ए के खाता सं. 35 के प.नं. 54/264, 54/265 की कुल 6.072 हैक. में से वादी सं. 2 को 0.996 हैक., प्रतिवादी सं. 1 को 0.8745 हैक., प्रतिवादी सं. 2 की 0.380 हैक., प्रतिवादी सं. 3 को 0.380 हैक. प्राप्त हुई।

वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का कब्जा वाद पत्र की दफा 5 की उप दफा "क से ख" मे वर्णितानुसार कृषि भूमि पर घरू तबादला के समय चला आ रहा है और वर्तमान मे इसीनुसार भूमि काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे वादग्रसत रकबा मुताबिक घरू तबादला अनुसार दर्ज नही होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 5 की उप दफा "क से ख" मे वर्णितानुसार कृषि भूमि की घोषणा प्राप्त करने एवं विनिमय करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादीगण का मुताबिक घरू तबादला एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि की घोषणा एवं विनिमय करवा देवे तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, बस यही वाद हेतूक है।

प्रतिवादी सं. 4 भू.धारक है इसलिए उन्हे आवयश्क पक्षकार बनाया गया है ।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :–

क. घोषित किया जावे कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 वाद पत्र की दफा 5 की उप दफा "क से ख" मे वर्णित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है।

ख. मुताबिक अनुतोष "क" वादग्रस्त कृषि भूमि का आपसी विनिमय किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 3 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6

09.08.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49(1) मे स्पष्ट है कि कोई खातेदार अभिधारी जो ऐसे किसी क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो वह सहायक कलेक्टर से उस भूमि के जसे वह जोतता है किसी भाग का किसी अन्य खातेदार अभिधारी द्वारा जोती जाने वाले भूमि से विनिमय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का निम्नानुसार विनिमय किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है–

क. चक नं. 13 एमओडी–ए के खाता सं. 31 के प.नं. 52/264, 53/264 की कुल 5.060 हैक. में से वादी सं. 1 को 1.265 हैक., वादी सं. 2 को 1.265 हैक., प्रतिवादी सं. 2 को 0.6325 हैक., प्रतिवादी सं. 3 को 1.8975 हैक. को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ख. चक नं. 11 एमओडी के खाता सं. 35 के प.नं. 54/264, 54/265 की कुल 6.072 हैक. में से वादी सं. 2 को 0.996 हैक., प्रतिवादी सं. 1 को 0.8745 हैक., प्रतिवादी सं. 2 की 0.380 हैक., प्रतिवादी सं. 3 को 0.380 हैक. को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

02.08.2022

(रणजीत कुमार) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

डिक्री व मुकद्में इब्तदाई
(आ0-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या :- 305/2022(जीसीएमएस दर्ज संख्या – 2022/82)

अनवान मुकदमा –

1. रेम्पी सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गुरतेज सिंह पुत्र बीकर सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. वीरपाल कौर पत्नी गुरसेवक सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गुरमेल कौर पत्नी बीकर सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. नसीब कौर पत्नी साहब सिंह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

-- प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 49 रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं विनिमयः-

-:: निर्णय ::-

दिनांक – 02/08/2022

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद में वर्णित भूमि का निम्नानुसार विनिमय किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है-

क. चक नं. 13 एमओडी-ए के खाता सं. 31 के प.नं. 52/264, 53/264 की कुल 5.060 हैक. में से वादी सं. 1 को 1.265 हैक., वादी सं. 2 को 1.265 हैक., प्रतिवादी सं. 2 को 0.6325 हैक., प्रतिवादी सं. 3 को 1.8975 हैक. को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ख. चक नं. 11 एमओडी के खाता सं. 35 के प.नं. 54/264, 54/265 की कुल 6.072 हैक. में से वादी सं. 2 को 0.996 हैक., प्रतिवादी सं. 1 को 0.8745 हैक., प्रतिवादी सं. 2 की 0.380 हैक., प्रतिवादी सं. 3 को 0.380 हैक. को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नही हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

02.08.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आदेश आज दिनांक 02/08/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02.08.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा